विवरणिका
PROSPECTUS
2018 - 2019

स्नातक, भौतिक चिकित्सा
Bachelor of Physiotherapy (BPT)

स्नातक, व्यावसायिक चिकित्सा
Bachelor of Occupational Therapy (BOT)

स्नातक, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स
Bachelor of Prosthetics & Orthotics (BPO)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

fn0;kxtu l'kfDrdj.k foHkkx
Lkkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk e=ky;] Hkkjr ljdkj
4] fo".kq fnxEcj ekxZ] ubl fnYyh&110 002

Pt. Deendayal Upadhyaya National Institute for Persons with Physical Disabilities (Divyangjan)

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002

For Admission to First Year BPT / BOT / BPO (4½ Years), Affiliated to University of Delhi

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

fn0;kax tu l'kfDrdj.k foHkkx
Lkkekftd U;k; vkSj vf/kdkfjrk e=ky;] Hkkjr ljdkj
4] fo".kq fnxEcj ekxZ] ubZ fnYyh&110 002

Pt. Deendayal Upadhyaya
National Institute for Persons with Physical Disabilities (Divyangjan)
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002

विवरणिका

PROSPECTUS
2018 - 2019

स्नातक, भौतिक चिकित्सा	**Bachelor of Physiotherapy (BPT)**
स्नातक, व्यावसायिक चिकित्सा	**Bachelor of Occupational Therapy (BOT)**
स्नातक, प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स	**Bachelor of Prosthetics & Orthotics (BPO)**
अवधि : प्रत्येक 4 वर्ष एवं 6 मास	**Duration: 4 Years & 6 Months Each**

विवरणिका
2018 - 2019

Prospectus
2018 - 2019

प्रकाशित:

निदेशक,

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान

नई दिल्ली-110002

Published by:
Director,
Pandit Deendayal Upadhyaya
National Institute for Persons with Physical Disabilities (Divyangjan)
New Delhi-110 002

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	1
3.	न्यूनतम पात्रता शर्तें	2
4.	प्रवेश का आधार	3
5.	सीटों की संख्या	4
6.	विवरणिका	7
7.	पाठ्यक्रम शुल्क	9
8.	छात्रावास	10
9.	सामान्य अनुदेश	11
10.	उम्मीदवार के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि से संबंधित जानकारी	11
11.	विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।	12
12.	(अ) रैगिंग की रोकथाम तथा दंड (अध्यादेश 15–ग)	13
	(ब) रैगिंग सम्बन्धित राघवन समिति की सिफारिशें	14
13.	बैचलर आफ फिजियोथरेपी/बैचलर आफ आकूपेशनल थरेपी/बैचलर आफ प्रोस्थैटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों के परामर्श हेतु दिशा निर्देश ।	15
14.	परामर्श के समय दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	16
15.	प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र	17
	अनुलग्नक – I	18
	अनुलग्नक – II	19

CONTENTS

S.No.	Particulars	Page No.
1.	INTRODUCTION	21
2.	PROFESSIONAL COURSES	21
3.	MINIMUM ELIGIBILITY CONDITIONS	22
4.	BASIS OF ADMISSION	23
5.	NUMBER OF SEATS	24
6.	PROSPECTUS	27
7.	COURSE FEE	30
8.	HOSTEL	31
9.	GENERAL INSTRUCTIONS	32
10.	INFORMATION FOR THE CANDIDATE ON THE DATE OF ENTRANCE TEST	32
11.	MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY	34
12.	(a) PROHIBITION AND PUNISHMENT FOR RAGGING (Ordinance XV-C)	34
	(b) RAGHAVAN COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS RELATED TO RAGGING	36
13.	GUIDELINES FOR COUNSELLING THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO BACHELOR OF PHYSICAL THERAPY/BACHELOR OF OCCUPATIONAL THERAPY/BACHELOR OF PROSTHETICS & ORTHOTICS	37
14.	CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE FURNISHED AT THE TIME OF COUNSELLING.	38
15.	FORMAT OF CERTIFICATES	39
	ANNEXURE I	41
	ANNEXURE II	42

1- iLrkouk

विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली सन् 1976 से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2002 से इसका नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान हो गया। यह सन् 2016 में राष्ट्रीय संस्थान बना और इसका नाम 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान' हुआ।

इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सभी आयु वर्ग के चलन संबंधी दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना है। दिव्यांग व्यक्तियों की कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से यह संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से सम्बद्ध साढ़े चार वर्ष की अवधि के निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाता है –

(i) बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (बी.पी.टी.)

(ii) बैचलर ऑफ आक्यूपेशनल थैरेपी (बी.ओ.टी.)

(iii) बैचलर ऑफ प्रौस्थैटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स (बी.पी.ओ.)

संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाएं इस प्रकार हैं –

(i) शारीरिक दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों/रोगियों के रोग निर्धारण तथा उनकी पुनर्वास संबंधी जरूरतों के बारे में निर्णय लेना।

(ii) आर्थोटिक व प्रौस्थैटिक उपकरणों (कैलिपर्स, स्प्लिंट्स, कृत्रिम अंगों, औशधालय एवं गतिशीलता उपकरण आदि) आदि के निर्माण हेतु कार्यशाला ।

(iii) बाह्य रोगियों के लिए भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा तथा वाणी चिकित्सा संबंधी सेवाएं ।

(iv) सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक परामर्श सेवाएं ।

(v) समेकित प्राथमिक स्कूल ।

2- 0;kolkf;d ikB;Øe

2-1 **Lukrd] Hkkfrd fpfdRlk&** भौतिक चिकित्सा स्वास्थ्य से सम्बन्धित वह व्यवसाय है, जो भौतिक पद्धतियों द्वारा शारीरिक दुष्क्रियाओं में चिकित्सीय प्रबंध से जुड़ा है। इस चिकित्सीय पद्धति का उद्देश्य वैज्ञानिक नियमों की प्रायोज्यता से मानव स्वास्थ्य तथा कार्यशीलता में अधिकतम अभिवृत्ति करना है। भौतिक चिकित्सा के कौशल को सीखने के लिए आधारभूत चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना तथा सैद्धान्तिक विज्ञान की प्रयोज्यता सीखना अनिवार्य है।

एक भौतिक चिकित्सक अल्प अथवा दीर्घकालीन कार्यशील दुष्क्रियाओं का निर्धारण कर उसे ठीक करने अथवा समाप्त करने में सक्षम होता है। एक भौतिक चिकित्सक, अस्पतालों, पुनर्वास केन्द्रों, दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धावस्था केन्द्रों, सेवा गृहों, खेल–कूद प्रतिश्ठानों में कार्य कर सकता है। भौतिक चिकित्सक स्वनियोजित नैदानिक व्यवसायी, शैक्षणिक अध्यापक और अनुसंधानकर्ता भी हो सकता/सकती है ।

2-2 **Lukrd] 0;kolkf;d fpfdRlk &** व्यावसायिक चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित वह व्यवसाय है, जो मानसिक मन्दता सहित विभिन्न स्नायुओं, मांस–पेशियों एवं शारीरिक दुश्क्रियाओं तथा मानसिक विकृतियों के थैराप्यूटिक प्रबन्धन से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य उपर्युक्त दिव्यांगताओं से पीड़ित व्यक्ति के दैनिक जीवन के लुप्त कार्यकलापों की कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करना और सामान्य बनाना कार्य सहनशक्ति का विकास तथा उत्तम समन्वय या कौशलों को बनाए रखना है ।

व्यावसायिक चिकित्सा के कौशल को सीखने के लिए आधारभूत स्वास्थ्य विज्ञान तथा नैदानिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना तथा अनुप्रयोग करना अनिवार्य है । एक व्यावसायिक चिकित्सक कार्यशील दुष्क्रियाओं का निर्धारण कर उसे ठीक करने अथवा समाप्त करने में सक्षम होता है तथा मानसिक रोग अथवा मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों अथवा व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता कर सकता है । व्यावसायिक चिकित्सक अस्पतालों, पुनर्वास केन्द्रों, दिव्यांग बच्चों के स्कूलों, नशा मुक्ति–केन्द्रों, मनोचिकित्सा निदानालयों व गृहों तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के केन्द्रों और बाल विकास केन्द्रों में कार्य कर सकता/सकती है ।

व्यावसायिक चिकित्सक, अपने क्षेत्र में स्वनियोजित नैदानिक व्यवसायी, शैक्षिक अध्यापक , प्रबंधक, अनुसंधानकर्ता, परामर्शदाता, सलाहकार आदि भी हो सकते हैं ।

2-3 Lukrd] i`LFkfVDl ,.M vkFkksZfVDl & प्रोस्थेटिक्स व ओर्थोटिक्स वह व्यावसाय है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सहायक अंग व उपकरण निर्माण करने व लगाने से संबंधित है। एक प्रोस्थेटिस्ट आंशिक या पूर्ण रूप से नामौजूद अंग वाले रोगी के लिए प्रोस्थेसिस या कृत्रिम अंग का निर्माण करने, डिजाइन करने और रोगी के शरीर पर उसे फिट करने के अलावा उसकी देखभाल की व्यवस्था भी करता है । प्रोस्थेटिस्ट व्यक्ति की कार्यात्मक और कांतिवर्द्धक जरूरतों को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी अंग या इसके भागों के कृत्रिम अनुकल्प को डिजाइन करता है । वह माप लेता है, उचित सामग्री एवं घटकों का चयन करता है और उसे रोगी को प्रोस्थेसिस फिट करने के लिए सभी रूपांतरण करता है। वह रोगी को उसके उचित रख–रखाव की जानकारी भी देता है ।

ऑर्थोटिक्स किसी तंत्रिका–मांसपेशीय तथा मांसपेशीय–अस्थि संबंधी विकृतियों से ग्रस्त रोगियों के लिए सहायक देख–भाल की व्यवस्था करता है । ऑर्थोटिस्ट रोगी में शरीर के कमजोर भाग की कार्यात्मक और कांतिवर्द्धक जरूरतों का मूल्यांकन करने, आवश्यकताओं के अनुसार ऑर्थोसिस का डिजाइन करने, ऑर्थोसिस का निर्माण करने, सीध मिलाने (अॅलाइनमेंट) और फिट करने के लिए जिम्मेदार है। वह रोगी को ऑर्थोसिस के उचित प्रयोग और रख–रखाव की जानकारी भी देता है।

3- U;wure ik=rk 'krsZ

3-1 vgZrk % बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थैरेपी व बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एण्ड ऑर्थोटिक्स पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों ने निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो:

(क) बीपीटी/बीओटी के लिए सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन की सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा) या उसके समकक्ष कोई परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित (पीसीबीई) तथा प्रत्येक विषय में छात्र अलग–अलग उत्तीर्ण हो ।

या

बीपीओ के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित/जीव विज्ञान और अँग्रेजी विषयों सहित (पीसीएमई/पीसीबीई) से उत्तीर्ण की गई हो तथा प्रत्येक विषय में छात्र अलग–अलग उत्तीर्ण हो ।

या

(ख) काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन की इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अँग्रेजी विषयों सहित बीपीटी/बीओटी के लिए तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अँग्रेजी/भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अँग्रेजी विषयों सहित बीपीओ के लिए तथा प्रत्येक विशय में छात्र अलग–अलग उत्तीर्ण हो ।

ukV % (क) जो अभ्यर्थी मार्च/अप्रैल 2018 में आयोजित अर्हता परीक्षा में शामिल हुए है अथवा शामिल होगे तथा जिनका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया /अथवा प्रतीक्षारत है, वे भी प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते है, यद्यपि इन्हें प्रवेश परामर्श के समय सभी पात्रता मानदंडों को संतोषजनक तौर पूर्ण करना होगा।

(ख) यदि आप ने 10+ 2 परीक्षा पूर्व में ही उत्तीर्ण कर ली है तो अपको मुख्य विषयों यथा भौतिकी, रसायनशास्त्र/जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी (बीपीटी/बीओटी/बीपीओ पाठ्यक्रमों के लिए अवेदन कर रहे है) में प्राप्त अंको को भरना आवश्यक है। यदि आपने केवल बीपीओ पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है तो भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित/जीवविज्ञान तथा अंग्रेजी भरें। उन मुख्य विषयों का उल्लेख करें जिसमें आप प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। गणित को मुख्य विषय के रूप में रखकर प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प चुनने वाला उम्मीदवार बीपीटी और बीओटी में प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अतः मुख्य विषय भरने से पहले निर्देश तथा विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। मुख्य विषयों की औसत प्रतिशतता की गणना प्रवेश परीक्षा हेतु आपकी पात्रता तथा आपके द्वारा इच्छित विशयों का निश्चय करने हेतु की जायेगी।

3-2 vdk dh ifr'krrk% सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए उपरोक्त चार विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शारीरिक रूप से विकलांग तथा सी डब्ल्यू ए पी पी श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

3-3 me% U;ure & बीपीटी, बीओटी तथा बीपीओ में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को 17 वर्ष है।
अधिकतम–अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी तथा अन्य के लिए 23 वर्ष है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अ.पि.व./शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 28 वर्ष है।
नोट : आयु की गणना उपरोक्तानुसार, हाई स्कूल के प्रमाण–पत्र अथवा उक्त परीक्षा के अंक पत्र में वर्णित जन्म–तिथि प्रमाणिक दस्तावेज साक्ष्य माना जाएगा।

3-4 vUrjky o"k% जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 परीक्षा वर्ष 2015 से पूर्व उत्तीर्ण की है तथा उनकी नियमित पढ़ाई में 3 वर्ष से अधिक का अवरोध आ गया है, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं है।

4- izos'k dk vk/kkj

4.1 बीपीटी/बीओटी/बीपीओ में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में उनकी योग्यताक्रम के आधार पर किया जाएगा। बीओटी, बीपीटी तथा बीपीओ पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान द्वारा एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। ये परीक्षा तीन घंटे की होगी तथा इसमें सी.बी.एस.ई. या इसके समकक्ष सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ।

4.2 बीपीटी, बीओटी और बीपीओ के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें ''क'', ''ख'', ''ग'' तथा ''घ'' चार भाग होंगे और निम्नलिखित विषयों के प्रश्न होंगे :

Hkkx	fo"k;	dqy iz'u
क	भौतिक शास्त्र	50
ख	रसायन शास्त्र	50
ग	जीव विज्ञान/गणित	50
घ	सामान्य ज्ञान और अँग्रेजी	50

4.3 बीपीओ पाठ्यक्रम का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा (अर्थात 10+2) में उनके विषयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा । ऐसे अभ्यर्थी विषय का विकल्प आवेदन फार्म में उचित कॉलम में देंगे । शेश के लिए भौतिकी, रसायन–शास्त्र, सामान्य ज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों के सभी प्रत्याशियों के लिए समान प्रश्न होंगे ।

4.4 आवेदन पत्र भरते समय विषय के लिए दिए गए विकल्प को प्रवेश परीक्षा के समय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4.5 संस्थान द्वारा चलाए जा रहे बीपीटी, बीओटी अैर बीपीओ के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी भारतीय अभ्यर्थियों को एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा। सफल अभ्यर्थियों को वरीयता सूची में उनके स्थान के आधार पर होने वाली काउंसिलिंग में बुलाया जायेगा। काउंसिलिंग हेतु बुलावा पत्र भेजे जाने मात्र से अभ्यर्थी संस्थान में प्रवेश का हकदार नहीं बन जायेगा। प्रवेश वरीयता सूची में अभ्यर्थी के स्थान, अर्हता शर्तों के पूरे होने व मूल प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतिकरण पर आधारित होगा, जैसा कि विवरणिका में उल्लिखित है।

5- lhVksa dh la[;k

5-1 lhVksa dk vkj{k.k% बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थैरेपी व बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 54 सीटें होंगी और बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में 31 सीटें होंगी । विभिन्न श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए सीटों का वितरण इस प्रकार हैं–

ikB~;Øe	dqy lhVsa	lkekU; Js.kh	vuq- tkfr	vuq- tutkfr	'kkjhfjd fodykax	vU; fiNMk oxZ	Tkgka f'k{k.k lqfo/kk,a ugh	lhMCY;w ,ihih	fons'kh ey
बीपीटी	54	20	8	4	2	15	3	2	2
बीओटी	54	20	8	4	2	15	3	2	2
बीपीओ	31	15	5	2	1	8	..	1	..
कुल	139	55	21	10	5	38	6	5	4

5-2 vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr izR;k'kh ¼v-tk@v-t-tk-½

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 15 प्रतिशत व साढ़े सात प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित हैं।

किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को भी इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करते समय सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदत्त उच्च कोटि शिक्षा की सैन्ट्रल सैक्टर स्कोलरशिप प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

5-3 vU; fiNMk oxZ ds izR;k'kh

प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 27% सीटें अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित हैं ।
जो छात्र इस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं वे संबंधित/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित पत्र, इस संबंध में विवरणिका

में दिए गए प्रपत्र की रूपरेखा में संलग्न करें। उन्हें यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़े वर्ग की सूची मान्य होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 प्रतिशत (चार दशमलव पांच प्रतिशत) का उप कोटा, जैसा कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 के खण्ड (ग) में परिभाषित किया गया है।

5-4 'kkjhfjd :Ik ls fn0;kax izR;k'kh बीपीटी तथा बीओटी पाठ्यक्रमों में दो–दो स्थान तथा बीपीओ पाठ्यक्रम में एक स्थान शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रत्याशी के लिए आरक्षित हैं बशर्ते वे योग्यता क्रम सूची में आ जाते हैं तथा पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए डॉक्टरी जांच में उपयुक्त पाए जाते हैं। उन्हें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वे वस्तुतः किस वर्ग में आते हैं (अर्थात् सामान्य/अ.जा./अजजा./अ.पि.व.)। इस श्रेणी के अंतर्गत दावे हेतु उन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए ।

शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रत्याशी को बीपीटी/बीओटी/बीपीओ पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान वांछित कार्य गतिविधियां कर सकने में सक्षम होना चाहिए ।

प्रत्याशी के खड़े होने पर पर्याप्त संतुलन होना चाहिए तथा उसका/उसके ऊपरी हाथ–पैर की प्रणाली जरूरी चाल को प्रदर्शित करने में सक्षम होनी चाहिए।

जो अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत अनंतिम रूप से चयनित होंगे, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में स्थित वर्ल्ड युनिवर्सिटी हेल्थ सेन्टर में इस प्रयोजनार्थ गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा । बोर्ड द्वारा उपयुक्त घोषित होने पर ही अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चयनित पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा।

5-5 ;q) ds nkSjku fnoaxr gq, vFkok fn0;kax gks x, v)ZlSfud dkfeZdksa lfgr l'kL= lsuk dkfeZdksa ds cPpksa vFkok fo/kokvksa ¼lhMCY;w,ih½ ds fy, izko/kkuA

अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना के अधिकारियों और व्यक्तियों, जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है/दिव्यांग हुए हैं, की विधवाओं और बच्चों के बारे में 1947–48 से आगे की लड़ाइयों में मारे गए, दिव्यांग हुए अधिकारियों और व्यक्तियों की विधवाओं/बच्चों के लिए बीपीटी तथा बीओटी पाठ्यक्रमों में दो–दो स्थान तथा बीपीओ पाठ्यक्रम में एक स्थान आरक्षित है।

उपरोक्त छूट के लिए पात्र होने हेतु अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना के अधिकारियों और व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगाः

(क) सचिव, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली।

(ख) सचिव, राज्य/जिला सैनिक बोर्ड ।

(ग) प्रभारी अधिकारी, रिकार्ड कार्यालय।

(घ) प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट।

5-6 fons'kh ukxfjd ¼,Q,u½

(I) बीपीटी और बीओटी पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में दो (02) स्थान विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे बशर्ते कि वे न्यूनतम पात्रता शर्तें पूरी करते हों तथा उन्होंने अंतिम अर्हक परीक्षा (अर्थात 10+2 के समकक्ष परीक्षा 50 प्रतिशत अंकों के साथ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/गणित शाखा तथा अँग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड (भूटान के अतिरिक्त) से उत्तीर्ण की हो ।

(ii) विदेशी नागरिक जिन्होंने अर्हक परीक्षा किसी भारतीय स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iii) विदेशी नागरिक श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, उनके आवेदन उनकी सरकार से समुचित संस्तुति के उपरान्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पास विचारार्थ पहुँच जाने चाहिए ।

(iv) उनके आवेदन की सिफारिश दिल्ली विश्वविद्यालय के विदेशी छात्र सलाहकार द्वारा भी की जानी चाहिए ।

(v) भारत सरकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से उचित औपचारिकताओं के बाद उनका आवेदन संस्थान में पहुँच जाता है तो रिक्त तथा विदेशी नागरिकों की वरीयता सूची पर निर्भर करते हुए पाठ्यक्रम में अंतिम प्रवेश दिए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी समकक्ष अर्हता की जाँच की जाएगी ।

5-7 mu jkT;ksa ds iR;k'kh tgka bl izdkj dh f'k{k.k lqfo/kk,a miyC/k ugha gSa ¼,l-Vh-,u-,-½

व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा प्रत्येक में तीन (03) स्थान ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं जहां इस प्रकार की शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बशर्ते वे प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में स्थान प्राप्त कर लें । इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को राज्य सरकार के स्वास्थ्य या सामाजिक न्याय कल्याण विभाग के आयुक्त/सचिव से इस आशय का प्रमाण–पत्र लाना होगा कि इस प्रकार की सुविधाएं उनके राज्य में उपलब्ध नहीं हैं । भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है:*

(i) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
(ii) अरुणाचल प्रदेश
(iii) असम
(iv) दमन और दीव
(v) हिमाचल प्रदेश
(vi) जम्मू और कश्मीर
(vii) झारखण्ड
(viii) लक्षद्वीप
(ix) मणिपुर
(x) मेघालय
(xi) मिजोरम
(xii) नागालैण्ड
(xiii) सिक्किम
(xiv) त्रिपुरा

*उपर्युक्त सूची में संशोधन किया जा सकता है।

5-8 lhVk dk vkj{k.k l vyx fd;k tkuk

यदि एसटीएनए/सीडब्ल्युएपीपी तथा विदेशी नागरिक श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन स्थानों को अनारक्षित समझा जाएगा तथा ऐसी सीटों के लिए योग्यता क्रम के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा ।

5-9 xyr lpuk ij vkonu i=@io'k jnn

ऐसा कोई भी छात्र/छात्रा जो आयु, श्रेणी, अपने अंतिम विद्यालय/कालेज/विश्वविद्यालय आदि में अंको के उत्तीर्ण विषय तथा अंक प्रतिशत आदि के संबंध में दी गई गलत सूचना के आधार पर प्रवेश ले लेता है तो जब कभी भी यह स्थिति विश्वविद्यालय/संस्थान के ध्यान में लायी जायेगी उसका आवेदन पत्र/दाखिला रद्द कर दिया जाएगा ।

6- foojf.kdk

6-1 **foojf.kdk vkuykbu miyC/k gkxh rFkk lLFkku dh oclkbV** www.iphnewdelhi.in से डाउनलोड की जा सकती है।

6-2 **vkonu i= lLFkku dh oclkbV** www.iphnewdelhi.in पर 20 अप्रैल, 2018 (शुक्रवार) से 19 मई, 2018 (शनिवार) तक उपलब्ध रहेगा और केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जायेगा।

6-3 iol'k ijh{kk gr vkonu i= dk 'kYd

शुल्क का भुगतान सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग /सी.डब्ल्यू.ए.पी.पी. / अन्य श्रेणी के लिए 1200/– रु. तथा अनु.जा./अ.ज.जा./शारीरिक दिव्यांग के लिए 600/–रु. करना होगा।

6-4 vkonu i=i= Hkju l iol vko';d funl'k

फोटोग्राफ/हस्ताक्षर को स्कैन करने, अपलोड करने हेतु दिशानिर्देश :

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को अपना/अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के चित्र(इमेज) को नीचे दिये गए निर्देश के अनुसार स्कैन करना होगा।

¼d½ QkVkxkQ fp=½

1. फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट आकार एवं रंगीन चित्र वाला होना चाहिए।
2. सुनिश्चित करें कि चित्र रंगीन हो और हल्के रंग जैसे सफेद को वरीयता, पृश्टभूमि में लिया गया हो।
3. सहज रूप में कैमरे के सामने सीधे दिखते हो।
4. यदि आप चश्मा पहने है तो सुनिश्चित करें कि कोई रेफलेक्शन ना हो और आपकी आंख पूरी तरह से खुली हो।
5. टोपी, हैट्स एवं गहरे चश्मे स्वीकार्य नही है। धार्मिक पगड़ी/हेडवियर की अनुमति है किन्तु इससे चेहरा ढ़का नही होना चाहिए।
6. चित्र का परिमाप 200 X 230 पिक्सल में हो (वरीयता)।
7. फाइल का आकार 20केबी–50केबी के बीच होना चाहिए।
8. सुनिश्चित करें कि स्कैन चित्र का आकार 50 केबी से अधिक ना हो। यदि फाइल का आकार 50 केबी

से अधिक हो तो स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान स्कैनर जैसे डीपीआई रिजाल्यूशन, रंगों की सं. आदि की सेटिंग्स को समायोजित करें।

¼[k½ gLrk{kj fp=

1. अभ्यर्थी को काले पेन से सफेद कागज पर हस्ताक्षर करना है।
2. हस्ताक्षर केवल अभ्यर्थी के ही होने चाहिए किसी अन्य के नही।
3. हस्ताक्षर का उपयोग केवल पहचान पत्र/प्रवेश पत्र और जहां अनिवार्य होगा वहां किया जाएगा।
4. चित्र का परिमाप 140 X 60 पिक्सल में हो (वरीयता)।
5. फाइल का आकार 10केबी–20केबी के बीच होना चाहिए।
6. सुनिश्चित करें कि स्कैन चित्र का आकार 20 केबी से अधिक ना हो। यदि स्कैन किया गया हस्ताक्षर 20 केबी से अधिक है तो डीपीआई रिजाल्यूशन को कम करके पुनः स्कैन करें।

¼x½ vkonu i= d: 'kYd dk Hkxrku ,ub,QVh@vkjVhth,l d: ek/;e l: fuEufyf[kr [kkr: e: djuk gkxk&

[kkr: dk uke	DIRECTOR, PDUNIPPD NEW DELHI
[kkrk l:[;k	55113200890
cd dk uke	State Bank of India
'kk[kk	Shastri Bhawan, New Delhi – 110001
vkb,Q,l lh dkM	SBIN0050203

प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र का शुल्क सामान्य/अपिव/सीडब्ल्यूएपीपी/अन्य उम्मीदवारों के लिए 1200/–रु0 तथा अजा/अजजा/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 600/–रु0 है।

1. आपको आवेदन पत्र में भरने हेतु अपने बैंक से यूटीआर नम्बर लिये जाने की सलाह दी जाती है।
2. आवेदन पत्र/प्रवेश परीक्षा शुल्क के खाते में यूटीआर नम्बर, बैंक का नाम, शाखा का नाम, राशि तथा तिथि भरा जाना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र/प्रवेश परीक्षा शुल्क के विवरण न दिये जाने पर, आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

ukV % vkuykbu vkonu dju: dh vfre frfFk 19 eb] 2018 ¼'kfuokj½ gA

6-5 vkuykbu izfd;k

¼d½ vkonu i= Hkjk tkuk

1) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु संस्थान की वेबसाइट www.iphnewdelhi.in देखें।
2) विवरणिका संस्थान की वेबसाइट www.iphnewdelhi.in से डाउनलोड की जा सकती है।
3) प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
4) Online Application for Entrance Test Session 2018-19 पर क्लिक करें।
5) विद्यार्थी को अपनी ईमेल आई डी, मोबाइल नं0 तथा जन्म तिथि देकर वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
6) पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी को लॉगइन स्क्रीन दिखायी देगी।
7) यूजर/अभ्यर्थी लॉगइन क्रिडेंशियल्स देकर जो उन्होंने पहले ही बना रखे हैं, प्रवेश परीक्षा आवेदन

पोर्टल पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

8) प्रवेश परीक्षा आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद यूजर/अभ्यर्थी ऑन लाइन प्रवेश पत्र भरने के निर्देशों को पढ़ सकते हैं तथा apply online बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र भर सकते हैं।

9) (*) चिह्न वाले खानों को भरना अनिवार्य है।

10) अधूरे/गलत तौर पर भरे गये आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे।

11) अभ्यर्थी को अपना फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। (ऊपर उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार)

12) यदि अभ्यर्थी पहले भरे गये आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन/संशोधन करना चाहे तो वह Modify Application Details का विकल्प चुन सकता है।

13) आवेदन पत्र भरने के दौरान अभ्यर्थी परिवर्तनों को Save Application Details बटन पर क्लिक करके सुरक्षित कर सकता है।

14) आवेदन पत्र को पूर्णतः भर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को उसे सबमिट करने से पूर्व शुल्क संबंधी विवरण यथा शुल्क की राशि, यूटीआर नम्बर, बैंक का नाम, शाखा का नाम, राशि तथा तिथि आदि देने होंगे।

15) अभ्यर्थी आवेदन पत्र सबमिट कर देने के बाद **www.iphnewdelhi.in** के प्रवेश परीक्षा आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करके और Check Application Status का विकल्प चुनकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।

¼[k½ iz.o'k i=

(क) प्रवेश पत्र दिनांक 11 जून, 2018 से संस्थान की वेबसाइट **www.iphnewdelhi.in** के Entrance Test Application पोर्टल पर लॉग इन करके डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(ख) दिनांक 24.06.2018 को परीक्षा केन्द्र पर कोई प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

(ग) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके पास संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र नहीं होगा ।

6-6 iz.o'k ijh{kk dh rkjh[k& प्रवेश परीक्षा दिनांक 24 twu] 2018 ¼jfookj½ को दिल्ली में होगी।

परीक्षा की अवधि प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक तीन घण्टे होगी।

6-7 ifj.kke % परीक्षा परिणाम संभवतः जुलाई, 2018 के प्रथम सप्ताह में घोषित/अपलोड किया जाएगा तथा संस्थान की वेबसाइट **www.iphnewdelhi.in** पर भी उपलब्ध रहेगा।

प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उमीदवारों के लिए संस्थान कोई अंक तालिका जारी या प्रदान नहीं करेगा तथाा इस संबंध में किए गए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। योग्यता–क्रम सूची के केवल सफल प्रत्याशियों को परामर्श तथा अंतिम प्रवेश के लिए निर्धारित तारीख एवं समय को बुलाया जाएगा। (कृपया हमारी वेबसाइट **www.iphnewdelhi.in** देखें।)

7- ikB~;Øe 'kqYd

परामर्श एवं सामयिक प्रवेश के लिए बुलाए गए प्रत्याशियों को उनके चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि को निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा :

ukV%

(i) अंतिम प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर प्रवेश शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(ii) जमानत राशि कक्षाएं आरम्भ होने से पूर्व अथवा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा होने के उपरान्त सभी संबंधित विभागों से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही लौटायी जायेगी ।

Ø-l-	fooj.k	jkf'k (#-)
1-	प्रवेश शुल्क	3000.00
2-	जमानत राशि	10,000.00
3-	पुस्तकालय प्रतिभूति	5,000.00
4-	ट्यूशन शुल्क	13,200.00
5-	थेराप्यूटिक प्रयोगशाला शुल्क	8400.00
6-	पुस्तकालय शुल्क	300.00
7-	खेलकूद एवं सांस्कृतिक शुल्क	1,800.00
8-	नामांकन शुल्क	दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार
9-	परीक्षा शुल्क	दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार
	;kx *	#- 41]700-00

(* l{ke izkf/kdkjh d funs'kkuqlkj 'kqYd esa ifjorZu lEHkfor gSA)

(iii) पुस्तकालय प्रतिभूति जमा राशि या तो कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले अथवा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात सभी संबंधित विभागों से बेबाकी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लौटाई जाएगी।

(iv) यदि छात्र कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले प्रवेश छोड़ देता है तो उसे केवल शिक्षण शुल्क, थैराप्यूटिक प्रयोगशाला शुल्क, खेल एवं सांस्कृतिक शुल्क लौटा दिया जाएगा। इसके बाद कोई राशि वापस नही की जाएगी।

(v) पाठ्यक्रम शुल्क का ढाँचा विदेशी मूल के छात्रों के लिए अलग होगा। शिक्षण शुल्क, थेराप्यूटिक तथा प्रयोगशाला शुल्क ओर होस्टल शुल्क (यदि होस्टल दिया जाता है तो) उन सामान्य दरों से चार गुणा अधिक होगा जो भारतीय विद्यार्थियों पर लागू है। प्रतिदेय जमानत राशि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान होगी।

8- Nk=kokl ¼doy Nk=kvksa ds fy,½

(i) दिल्ली से बाहर के अभ्यर्थियों (केवल छात्राओं) के लिए संस्थान के छात्रावास में सीमित स्थान उपलब्ध है (यह भी छात्रावास में उपलब्ध स्थानों पर निर्भर है)। दिल्ली में रहने वाली छात्राओं को छात्रावास में स्थान नहीं दिया जाएगा। छात्रावास में आवास वर्ष दर वर्ष आधार पर आवंटित किया जाएगा।

(ii) छात्रावास वासी छात्रावास नियमावली में निर्धारित नियमों और विनियमों के अधीन रहेंगे।

(iii) असफल छात्रों/भूतपूर्व छात्रों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं होगी। तथापि, वार्षिक/पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर उन्हें स्थान पुनः आवंटित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

(iv) यदि संस्थान के छात्रावास में सीटें उपलब्ध नहीं होती तो प्रत्याशी को दिल्ली में ठहरने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

Nk=kokl 'kqYd

Ø-l-	fooj.k	jkf'k	vH;qfDr
1.	छात्रावास शुल्क	7200.00*	प्रति वर्ष
2.	छात्रावास प्रतिभूति शुल्क	5000.00**	
	योग	रू. **12,200.00**	

नोट :

* छात्रावास में स्थान आवंटित होने पर 7200/– रु. प्रति वर्ष की दर से छात्रावास शुल्क लिया जाएगा।

** रुपये 5000/– की राशि छात्रावास प्रतिभूति के रूप में जमा की जायेगी और यह राशि छात्रावास छोड़ते समय संबंधित विभाग से बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर प्रतिदेय होगी।

9- lkekU; vuqn'k

(i) इस आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना अयोग्यता समझी जाएगी तथा इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य माना जाएगा।

(ii) इस आवेदन पत्र में यदि कोई असत्य सूचना दी जाती है अथवा किसी वास्तविक सूचना को छुपाया जाता है तथा जिसके विषय में संस्थान को प्रत्याशी के प्रशिक्षण के दौरान यदि जानकारी हो जाती है तो उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा ।

(iii) अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। इस आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विवरणिका में निहित अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए ।

(iv) प्रवेश से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद का निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

(v) अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा से संबंधित अद्यतन एवं नवीनतम जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाइट **www.iphnewdelhi.in** को नियमित तौर पर देखते रहना चाहिए।

10- mEehnokj dk fy, izos'k ijh{kk dh frfFk ls lacf/kr tkudkjh

1- chihVh@CkhvkVh@chihvk dk fy, izos'k ijh{kk & 24-06-2018 ¼jfookj½

अभ्यर्थियों द्वारा समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना है:

केन्द्र में रिपोर्ट करने का समय	प्रातः 9.30 बजे
सीट पर अभ्यर्थी का बैठना	प्रातः 9.45 बजे
प्रश्न पुस्तिका का जारी करना	प्रातः 9.50 बजे
पुस्तिका की सील खोलना	प्रातः 9.55 बजे
प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करना	प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा समापन	दोपहर 1.00 बजे

2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना परीक्षा केन्द्र परीक्षा की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व देख लें। परीक्षा केन्द्र में बैठने की व्यवस्था, परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तथा परीक्षा हॉल के सामने परीक्षा की तारीख को दर्शाई जाएगी।

3. किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश परीक्षा केन्द्र में प्रातः 9.45 बजे के बाद और प्रवेश परीक्षा कक्ष में प्रातः 10.00 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. अभ्यथी अपने साथ पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और प्रवेश पत्र के साथ कोई एक पहचान साक्ष्य (भारत सरकार द्वारा जारी जैसे आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) अवश्य लाएं। प्रवेश पत्र के बिना किसी उम्मीदवार को परीक्षा में लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व में निर्दिष्ट प्रवेश पत्र वेबसाइट **www.iphnewdelhi.in** पर ईमेल आईडी, मोबाइल नं. एवं आवेदन/पावती सं. प्रदान करके डाउनलोड कर सकते है।

5. अभ्यथी अपने साथ लिखित परीक्षा में प्रयोग के लिए एच बी पेंसिल, बॉल पैन, इरेजर और शार्पनर आदि लेकर आएं।

6. उपरोक्त 5 में वर्णित कोई भी स्टेशनरी वस्तु प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

7. उम्मीदवार को परीक्षा पुस्तिका में डॉट पेन/बाल प्वाइंट पेन से अपने विवरण के बारे में प्रविष्टि करनी है। उत्तर पत्र के साइड 1 पर वांछित ब्यौरा डॉट पेन/बॉल पेन से भरा जाना है जबकि साइड 2 पर (हस्ताक्षर को छोड़कर) सभी कोडीकृत जानकारी और उत्तर केवल उचित बबल्स/सर्किलों द्वारा बॉल प्वाइंट पेन (काला अथवा नीला) से भरे जाने चाहिए।

8. अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका और उत्तर–पत्र के अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। कुछ भी पूछना हो तो उसे निरीक्षकों से स्पष्ट करा लेना चाहिए।

9. परीक्षा प्रश्न पत्र में 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनमें से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान/गणित और अँग्रेजी व सामान्य ज्ञान प्रत्येक के 50 प्रश्न होंगे ।

10. बीपीटी/बीओटी का विकल्प देने वाले प्रत्याशियों को केवल भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान प्रश्नों को करना पड़ेगा ।

11. बीपीओ का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों के लिए 10+2 में उनके कोर विषयों तथा अपने आवेदनों में उनके द्वारा विकल्प दिए गए विशयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों को करना पड़ेगा ।

12. कुल परीक्षा अंक 800 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अतिरिक्त नकारात्मक अंक कुल प्राप्तांकों में काट लिया जाएगा ।

13. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने पर 90 मिनट बीत जाने से पहले परीक्षा केन्द्र छोड़ने या वाशरूम आदि जाने की अनुमति नहीं होगी ।

14. परीक्षार्थियों को दोपहर 1.00 बजे अर्थात् परीक्षा की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

15. उम्मीदवार को परीक्षा हॉल/कक्ष के अंदर पीने के पानी की बोतल को छोड़कर केलकुलेटर, पेजर, मोबाइल फोन इत्यादि सामान और वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

16. उम्मीदवार की निजी वस्तुओं के खो जाने/चोरी हो जाने के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा ।

17. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक को किसी उम्मीदवार/शिकायत/विवाद की जांच करने तथा तद्नुसार निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

18. किसी प्रकार के कदाचार के प्रयास से बचने के लिए परीक्षा केन्द्र, परीक्षा कक्षों और व्यक्तिगत आवेदको की वीडियोग्राफी की जायेगी। प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे व्यावसायिकों व परीक्षा निरीक्षकों को सहयोग देवें, क्योंकि ऐसा वास्तविक व परिश्रमी छात्रों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है।

19. किसी प्रकार के अनुचित साधन/अनाचार में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यार्थी को परीक्षा में आगे लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उम्मीदवार का सम्पूर्ण परीक्षा निष्पादन रद्द कर दिया जाएगा ।

20. छद्मरूपण के किसी भी प्रयास को विधि के अधीन सख्ती से निपटा जाएगा।

ukV% dì;k i;o'k ijh{kk d le; ,d uohure ikl ikV lkbt dh QkVk vkj igpku dk lk{; vo'; ydj vk; A

11- fo'ofo|ky; d Nk=k e vu'kklu cuk, j[kukA

11.1 प्रवेश परीक्षा की वरिष्ठता सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को परामर्श तथा अस्थायी प्रवेश के लिए निर्धारित तारीख एवं समय पर बुलाया जाएगा तथा परामर्श के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ उसकी सत्यापित प्रतिलिपि लाना होगा। सभी दाखिले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि के अधीन हैं ।

11-2 mifLFkfr

बीपीटी/बीओटी/बीपीओ में प्रवेश पाये प्रत्याशी को उपस्थिति की अपेक्षित शर्तों का पूर्णतया पालन करना

होगा, वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए वह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष और निर्धारित इन्टर्नशिप अवधि में प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और व्यावहारिक विषयों में अलग–अलग तीन–चौथाई (75%) उपस्थिति होना अनिवार्य है। बीपीटी/बीओटी/बीपीओ के पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को उनके चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए शैक्षणिक वर्ष के दौरान विभिन्न चिकित्सालयों/ संस्थानों/संगठनों में तैनात किया जायेगा। छः माह की निर्धारित इण्टर्नशिप अवधि में शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, जहां निर्धारित पाठ्यक्रमों में ग्रामीण तैनाती भी सम्मिलित हैं, उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति की कमी पूरी करने हेतु संस्थान अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था कराने का दायित्व नहीं लेता । यदि किसी छात्र को कम उपस्थिति का या बिना सूचना दिए कक्षा में अनुपस्थित होना पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त करने सहित उसे अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अथवा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

छात्र उन्हीं अस्पतालों/संस्थानों/संगठनों के नियमों/विनियमों के अन्तर्गत निर्देशित होंगे जहां उन्हें तैनात किया गया है।

12 ¼v½ jSfxax dh jksdFkke rFkk n.M ¼v/;kns'k 15&x½

1. संस्थान के परिसर के अंतर्गत जिसमें कक्षाओं के कमरे, पुस्तकालय, गलियारे, विभाग एवं छात्रावास तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भाग और परिवहन समेत सार्वजनिक स्थान शामिल हैं, उसकी छेड़छाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध है।

2. किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा सामूहिक छेड़–छाड़ करना अथवा छेड़–छाड़ का प्रयास करना गम्भीर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा उससे इस अध्यादेश के अंतर्गत निपटा जाएगा ।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए छेड़–छाड़ का साधारणतया अर्थ है वरिष्ठ छात्रों का अपने दर्जे अथवा बल द्वारा नए आए छात्रों अथवा जो छात्र किसी भी तरह से अन्य छात्रों से कनिष्ठ अथवा नीचे समझे जाते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अकेले अथवा समूह में छेड़छाड़ करना अथवा छेड़–छाड़ का प्रयास करना, इसमें ये शामिल हैं :–

   (क) शारीरिक प्रहार अथवा धमकी अथवा शारीरिक बल का प्रयोग करना ।

   (ख) छात्रों/छात्राओं के दर्जे, गरिमा व मान का उल्लंघन ।

   (ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से संबंधित छात्रों के दर्जे, गरिमा तथा सम्मान का उल्लंघन करना

   (घ) छात्रों को हास्यास्पद स्थिति में डालना तथा उसके आत्म सम्मान को प्रभावित करना ।

   (ड.) गाली–गलौज करना, गन्दी भाव–भंगिमाएं बनाना तथा इशारेबाजी करना ।

4. कालेज में प्रधानाचार्य, किसी विभाग के अध्यक्ष अथवा संस्थाध्यक्ष, कालेज प्राधिकारी विश्वविद्यालय, होस्टल, आवासीय हाल के प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छेड़–छाड़ की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे ।

5. उपरोक्त खण्ड–4 में किसी बात के होते हुए भी कुलानुशासक छेड़–छाड़ की किसी घटना में साथ–साथ जांच कर सकेंगे तथा कुलपति को उन व्यक्तियों की सूचना देंगे जो छेड़–छाड़ की घटना में शामिल थे ।

6. कुलानुशासक छेड़–छाड़ करने वाले तथा छेड–छाड़ के जनक तथा छेड़–छाड़ की घटना के प्रकार की एक आरम्भिक रिपोर्ट भी दे सकते हैं ।

7. यदि कालेज के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष अथवा संस्थाध्यक्ष अथवा कुलानुशासक संतुष्ट हैं कि कुछ कारणों से, इसे लिखित में रिकार्ड में लाया जाए, यह व्यवहारिक नहीं कि ऐसी कोई जांच की जाए तो वह

तदानुसार कुलपति को ऐसा परामर्श दे सकते हैं ।

8. जब कुलपति इससे संतुष्ट हो कि ऐसी कोई जांच करना जरूरी नहीं है तो उनका निर्णय अंतिम होगा ।

9. खण्ड 5 अथवा 6 के अंतर्गत रिपोर्ट मिलने पर अथवा खण्ड 7 के अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा खंड 3 क, ख अथवा ग में वर्णित छेड़–छाड़ की घटना होने को प्रकट करने संबंधी निर्णय पर कुलपति निश्चित वर्षों के लिए छात्र अथवा छात्रों को प्रतिबंधित करने के निर्देश अथवा आदेश दे सकते हैं।

10. कुलपति, छेड़–छाड़ अन्य मामलों में किसी छात्र को निकालने अथवा न निकालने, किसी अवधि के लिए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने, किसी संबद्ध परीक्षा अथवा परीक्षाएं जिनमें वह बैठ चुका है, के परिणाम को रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं ।

11. ऐसे मामले जिनमें छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं तथा इस अध्यादेश के अंतर्गत दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध इसके नियम 15 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अथवा डिप्लोमा को वापिस लेने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी ।

12. इस अध्यादेश के प्रायोजन के लिए, छेड़छाड़ के लिए उकसाना भी छेड़छाड़ माना जाएगा ।

13. दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी संस्थान, इस अध्यादेश के अंतर्गत जारी निर्देशों/अनुदेशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे तथा इस अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुलपति को सभी सहायता व सहयोग देंगे।

12 ¼c½ jfxx lEcfU/kr jk?kou lfefr dh fl Qkfj'k

प्रत्येक प्रत्याशी/छात्र को, रैगिंग की किसी भी घटना की रोकथाम हेतु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राघवन समिति की सिफारिशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लेना चाहिए । संस्थान इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा राघवन समिति की सिफारिशों का पालन सुनिश्चित करेगा ।

- पारस्परिक क्रियाओं के आधार पर समिति ने माना है कि रैगिंग समाज में एक अभिशाप है। हम पूर्णतः मानते हैं कि इसे रोकने के लिए अब नरम कदम नहीं बल्कि सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। समिति मानती है कि रैगिंग को रोकने के लिए मीडिया और समाज को भागीदार बनाना चाहिए।
- उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर पर दाखिले के समय पर छात्रों द्वारा शपथ पत्र देना अनिवार्य होना चाहिए। (1) विद्यालय प्रवास प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र जिसमें विद्यार्थी का आचरण संबंधी प्रमाण पत्र भी हो । (2) जिम्मेदारी का एक लिखित शपथ पत्र, हर एक छात्र नये या पुराने से लेना चाहिए जिसमें कि रैगिंग के विरूद्ध सजा के प्रावधान/नियम होने चाहिए, जिसपर छात्र और अभिभावक का हस्ताक्षर होने चाहिए । इस तरह का शपथ पत्र पुनः लेना चाहिए जब वह छात्रावास में रहना शुरू करे ।
- समिति यह मानती है कि यह अति आवश्यक है कि सभी संस्थाओं को यह मान्य होना चाहिए और कुछ उच्च स्तर के पदों पर जो अधिकारी हैं वह यह प्रमाणित करें कि इसका कठोरता से अनुपालन करेंगे ।
- समिति यह अनुमोदित करती है कि प्रत्येक संस्था में ''फ्रेशर्स दिवस'' व 'स्वागत पार्टी' का आयोजन एक, दो सप्ताह के अन्दर होना चाहिए। शैक्षिक सत्र शुरू होने पर इस तरह के आयोजन में महाविद्यालय के सभी अध्यापक और पदाधिकारी शामिल हों और इसमें कोई भी रैगिंग की घटना घटित नहीं होनी चाहिए ।
- समिति यह अनुमोदित करती है कि संस्थाओं में अपनी एक 'रैगिंग विरोध समिति' या 'एन्टी रैगिंग दल' होना चाहिए । समिति में नागरिक एवं पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया, युवा गतिविधियों में शामिल गैर

सरकार संगठनों के प्रतिनिधि, संकाय संदस्यों के प्रतिनिधि, अभिभावको के प्रतिनिधि, नये छात्रों और पुराने छात्रों के प्रतिनिधि तथा न पढ़ाने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व का समावेश होना चाहिए और इसकी अध्यक्षता संस्थान के प्रमुख द्वारा की जानी चाहिए।

- प्रत्येक संस्था में एक 'निगरानी समूह' होना चाहिए जो निगरानी रखे, जिसमें पुराने एवं नये छात्रों का ध्यान रखें । इस समिति का गठन प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में होना चाहिए।
- समिति यह अनुमोदित करती है कि समस्त शैक्षणिक संस्थान, सम्पूर्ण प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के मध्य, सत्र के पहले तीन महीनों में हर पंद्रह दिन पर औचक सर्वेक्षण करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसर में रैगिंग खत्म हो चुकी हैं या नहीं ।
- समिति अनुमोदित करती है कि गैर–सरकारी, वाणिज्यिक आवास और छात्रावास जो कि संस्था परिसर से बाहर हो, का पुलिस के पास पंजीकरण होना चाहिए। इस तरह के आवासों, छात्रावासों का निर्माण संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- समिति यह भी सुझाव देती है कि रैगिंग से संबंधित कोई भी सूचना लिखित एवं अलिखित या तीसरा पक्ष द्वारा भी हो सकती है। शिकायतकर्ता को किसी भी कीमत पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । इस तरह की शिकायत पर कार्यवाही एक सप्ताह के अन्दर होनी चाहिए ।
- समिति अनुमोदित करती है कि बचाव और रैगिंग के विरूद्ध कार्यवाही की जिम्मेवारी सामूहिक रूप से हर स्तर पर संस्था के अधिकारियों पर होनी चाहिए।
- आवास संरक्षक हर वक्त आवास में उपलब्ध होना चाहिए और संस्था द्वारा संरक्षक को एक मोबाइल फोन देना चाहिए ।
- समिति सलाह देती है कि विश्वविद्यालय के हर एक स्तर पर जांच हेतु, जांच समिति होनी चाहिए जो कि महाविद्यालय और संस्थाओं के बीच सहयोग करे ।
- समिति सलाह देती है कि विश्वविद्यालय प्रमुख द्वारा एक समीक्षा रिपोर्ट महाविद्यालय के कुलपति को सौंपी जानी चाहिए । साप्ताहिक सूचनाओं के पहले तीन माह के दौरान संस्था के सत्र चालू होने और उसके बाद की सूचनाओं की प्रत्येक वस्तुस्थिति के रैगिंग विरोधी के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए ।
- समय पर सम्पर्क करने हेतु, समिति अनुमोदित करती है कि विद्यार्थियों के आवास/शिविर के पास सार्वजनिक फोन/मोबाइल फोन होना चाहिए ।

13- cspyj vkQ fQft;kFksjsih@cspyj vkQ vkdqis'kuy Fksjsih@cspyj vkQ iksLFkksfVDl ,.M vkFksksfVDl esa izos'k ds fy, izR;kf'k;ksa ds ijke'kZ gsrq fn'kk funsZ'k A

1. परामर्श के लिए प्रत्याशी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है ।
2. परामर्श हाल में प्रत्याशी के साथ केवल एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी ।
3. परामर्श हाल में पहुंचने का समय प्रातः 9.00 बजे है ।
4. प्रत्याशियों को परामर्श हाल में प्रवेश केवल प्रातः 9.30 बजे तक दिया जायेगा ।
5. यदि कोई प्रत्याशी किसी कारण से परामर्श पत्र में दिए गये दिन, तारीख व समय पर परामर्श के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो वह अपने प्रवेश का अवसर खो देगा तथा सीट वरिष्ठता सूची क्रम में अगले प्रत्याशी को प्रस्तावित कर दी जायेगी ।

6. प्रत्याशी को प्रवेश के लिए वांछित मूल प्रमाण पत्र लाने होंगे जिन्हें संस्थान में प्रवेश के समय से प्रत्याशी को दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकित हो जाने के समय तक रखा जायेगा ।
7. परामर्श पत्र का जारी होना, प्रत्याशी को संस्थान में प्रवेश के लिये अधिकार नहीं देता। संस्थान में प्रवेश योग्यता सूची में रैंक, आवेदन पत्र में दिए गये पाठ्यक्रम के विकल्प, पात्रता शर्तों को पूरा करने तथा अस्थायी प्रवेश के लिए क्लेम करने हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है।
8. प्रत्याशियों को योग्यता सूची क्रम में उनके रैंक के अनुसार बुलाया जायेगा। प्रत्याशियों को योग्यता सूची क्रम में उनके रैंक के अनुसार आवेदन पत्र में उनके द्वारा दिए गये विकल्प के अनुसार वैकल्पिक पाठ्यक्रम में सीट की उपलब्धता के आधार पर पेशकश की जायेगी ।
9 योग्यता सूची क्रम में बराबरी होने की स्थिति में प्रत्याशी के 10+2 (पी.सी.बी.ई./पी.सी.एम.ई.) विषयों के अंक प्रतिशत पर विचार किया जायेगा
10. योग्यता क्रम सूची व 10+2 (पी.सी.बी.ई/पी.सी.एम.ई.) विषयों के अंक प्रतिशत में बराबरी होने की स्थिति में प्रत्याशी की आयु पर विचार किया जायेगा और वैकल्पिक विषय में आयु में बड़े प्रत्याशी को प्रवेश दिया जायेगा
11. परामर्श के तत्काल उपरान्त प्रत्याशी को संस्थान में अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा और उसे परामर्श वाले दिन ही शुल्क जमा कराना होगा ।
12. शुल्क **DIRECTOR, PDUNIPPD** के पक्ष में नई दिल्ली पर देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में परामर्श के दिन जमा करनी होगी।
13. यदि कोई प्रत्याशी परामर्श के दिन शुल्क जमा करने में असफल रहता है तो सीट योग्यता सूची क्रम में अगले प्रत्याशी को पेश की जायेगी ।

ukV% Hkk"kk@0;k[;k e fdlh Hkh rjg d fookn dh fLFkfr e foojf.kdk dk vxth vuokn gh ekU; gkxkA

14- Ikjke'k d le; fn, tku oky nLrkot k dh lph%

आवेदकों को परामर्श के समय जब भी आवश्यकता होगी, अपने प्रमाण पत्रों की मूल दस्तावेज लाना होगा :

1. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र, बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक,सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाण–पत्र।
2. निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र उन प्रत्याशियों के लिए जो आरक्षित श्रेणियों के अधीन प्रवेश ले रहे हैं ।
3. उस कालेज/स्कूल/विश्वविद्यालय, जहां अंतिम रूप से शिक्षा प्राप्त की हो से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र,छह माह से पुराना न हो।
4. 10+2 योजना के अधीन 12वीं परीक्षा पास करने का लिखित प्रमाण।
5. 10+2 योजना के अधीन 12वीं कक्षा की अंक तालिका।
6. पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा दक्षता प्रमाण–पत्र
7. हाल ही के पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो।
8. प्रत्याशी तथा उसके माता–पिता/अभिभावक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राघवन समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में रु0 10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा गया ऐन्टी–रैगिंग शपथ। (अनुलग्नक – **I** एवं **II**)
9. डिमांड ड्राफ्ट।

15- izek.k&i=k dk izi=

15.1 (क) अ.ज./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए : जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त उप कलेक्टर/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजिनल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त प्रसेंडेंसी मजिस्ट्रेट/अति चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो जहाँ प्रत्याशी और अथवा उसका परिवार सामान्यतया रहता है इस क्षेत्र का सव डिवीजनल अधिकारी/प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) द्वारा जारी किया जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....

पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती.....

ग्राम/नगर.....

जिला मण्डल.....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....की.....

जाति से सम्बन्धित है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर.....

स्थान व तारीख
(कार्यालय की मोहर)

नाम.....

(साफ अक्षरों में)

पदनाम.....

15-2 fodYi

(केवल उन व्यक्तियों के लिए जो रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा बसे हैं।)

श्री/श्रीमती.....पिता/माता/श्री/श्रीमती.....

ग्राम/नगर.....जिला मण्डल.....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....को.....

(जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम)

द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सं. .....के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि वह.....जाति से है जिसे.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वग के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(बड़े अक्षरों में)

स्थान व तारीख

(कार्यालय की मोहर)

पदनाम.....

कृपया जो लागू न हो उसे काट दें। केवल स्कूल के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य या राजपत्रित अधिकारी की सत्यापित प्रतिलिपियां/फोटो प्रतियां ही संलग्न करें।

Hkkjr ljdkj d` v/khu vkjf{kr inks ij fu;fDr d` fy, vU; fiNMk oxZ dk iek.k i=

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... निवासी .... जाति से सम्बन्धित है जो कि भारत सरकार के आसाधारण राजपत्र भाग–1, संख्या 88, दिनांक 25/05/1995 में प्रकाशित कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/7/95–बी.सी.सी., दिनांक 24.05.1995 और भारत सरकार के आसाधारण राजपत्र भाग–1, संख्या 241, दिनांक 27/10/1999 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/68–बी.सी.सी., दिनांक 27.10.1999 तथा भारत सरकार के आसाधारण राजपत्र भाग–1, संख्या 71, दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99–बी.सी.सी., दिनांक 04.04.2000 एवं भारत सरकार के आसाधारण राजपत्र भाग–1, संख्या 151, दिनांक 09/06/2003 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/1/2001–बी.सी.सी., दिनांक 09.06.2003 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/कु0 .... तथा/या उनका परिवार सामान्यतया .... रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 08.09.1993 के ओ.एम. सं0 36012/22/93–स्था., अनु.जा.ज.जा.द्ध. की अनुसूची में कॉलम – 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (साधन सम्पन्न वर्गों) से सम्बन्धित नहीं हैं।

दिनांकः

हस्ताक्षर

vu|yXud & I

fo|kFkhZ }kjk Lohd`fr i=

मैं (प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन सं. के साथ विद्यार्थी का पूरा नाम)... श्री/ श्रीमती .... का पुत्र /पुत्री को ....(संस्थान का नाम) में प्रवेश प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग संबंधित अधिनियम 2009 (आगे अधिनियम) की प्रति प्राप्त हुई और मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ी और विहीत व्यवधानों को पूर्णतः समझा।

2. विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य 3 से अवगत हूँ जिसमें रैगिंग क्या है, इसकी व्याख्या है।

3. विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य 7 एवं 9.1 में विहीत कानूनी दण्ड और प्रशासकीय कार्यवाही के प्रावधान से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत रैगिंग या रैगिंग में सहयोग, सक्रिय या असक्रिय रूप में, या रैगिंग को प्रोत्साहित करने की साजिश के तहत मुझपर दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जा सकती है।

4. अतः मैं प्रतिज्ञापत्र करता /करती हूँ कि

अ. मैं ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित नहीं रहूँगा/रहूँगी जिसे अधिनियम के उपवाक्य 3के तहत रैगिंग माना जाए।

ब. मैं जाने या अनजाने किसी ऐसे कार्य में हिस्सा नहीं लूँगा/लूँगी जिसकी संरचना कथित अधिनियम और उपखण्ड 3 के अनुसार रैगिंग के अनुरूप हो या रैगिंग को बढ़ावा देती हो या रैगिंग में सहयोग देती हो।

5. मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग का दोषी पाया गया/पायी गयी तो मैं अधिनियम के उपवाक्य 9.1 अनुसार दण्ड का भागीदार बनूँगा/बनूँगी और इसके उपरांत मेरे ऊपर अन्य आपराधिक कार्रवाईंयां कानून के तहत भी की जा सकती हैं।

6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि रैगिंग या रैगिंग में सहयोग या बढ़ावा के संदर्भ में दोषी पाए जाने के कारण मैं किसी संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया/गयी हूँ और न ही निष्काषित किया गया/गयी हूँ और यह स्वीकार करता/करती हूँ अगर यह स्वीकृति गलत पाई गई तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरा दाखिला रद्द किया जा सकता है।

तारीख ....

....

हस्ताक्षरः

नाम :

Lohdfr

मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान अनुसार सही हैं ओर कुछ भी छुपाया नहीं गया है और न ही गलत ढंग से व्यक्त किया गया है।

स्थानः
तिथिः

....
हस्ताक्षर

घोषण पत्र में सन्निहित जानकारी पढ़ने के उपरांत मेरे समक्ष .... (तिथि) को शपथ ग्रहण किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

शपथ कमिश्नर

vuqyXud & II

fo|kFkhZ ds ekrk&firk@vfHkHkkod }kjk Lohd`rh i=

मैं, श्री /सुश्री/ श्रीमती(माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम) .... जो कि .... का / की पिता / माता / अभिभावक हूँ, जिसका प्रवेश क्रमांक .... है ....(संस्थान का नाम) में प्रवेश के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग संबंधित अधिनियम 2009 (आगे अधिनियम) की प्राप्ति हुई और मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ी और विहीत व्यवधानों को पूर्णतः समझा।

2. विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य 3 से अवगत हूँ जिसमें रैगिंग क्या है, इसकी व्याख्या है।

3. विशेषतः मैं अधिनियम के उपवाक्य 7 एवं 9.1 विहित कानूनी दण्ड और प्रशासकीय कार्यवाही के प्रावधान से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत रैगिंग या रैगिंग में सहयोग, सक्रिय या असक्रिय रूप में, या रैगिंग को प्रोत्साहिक करने की साजिश के तहत मेरे पुत्र/पुत्री पर कार्यवाही की जा सकती है।

अ. मेरा पुत्र/पुत्री ऐसे किसी कार्य में सम्मिलित नहीं रहेगा/रहेगी जिसे अधिनियम के उपखण्ड 3 के तहत रैगिंग माना जाये।

ब. मेरा पुत्र/पुत्री जाने या अनजाने किसी कार्य में हिस्सा नहीं लेगा/लेगी जिसकी संरचना कथित अधिनियम और उपखण्ड 3 के अनुसार रैगिंग के अनुरूप हो या रैगिंग को बढ़ावा देती हो या रैगिंग में सहयोग देती हो।

5. मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि अगर मेरा पुत्र / रैगिंग का दोषी पाया गया तो मेरा पुत्र/पुत्री अधिनियम के उपवाक्य 9.1 तहत दण्ड का भागीदार बनेगा और इसके उपरांत उसपर अन्य आपराधिक कार्रवाईयां कानून के तहत भी की जा सकती है।

6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि रैगिंग या रैगिंग में सहयोग या बढ़ावा के संदर्भ में दोषी पाए जाने के कारण मेरा पुत्र/पुत्री किसी संस्था में प्रवेश से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्काषित किया गया है और यह स्वीकार करता/करती हूँ कि अगर यह स्वीकृति गलत पाई गई तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री का दाखिला रद्द किया जा सकता है।

तारीखः ....

....
हस्ताक्षरः
नामः
पताः
टेलीफोन/मोबाईलः

Lohdfr

मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान अनुसार सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है और न ही गलत ढंग से व्यक्त किया गया है।

स्थानः
तिथिः

.....
हस्ताक्षरः

घोषणा पत्र में सन्निहित जानकारी पढ़ने के उपरांत मेरे समक्ष ..... (तिथि) को शपथ ग्रहण किया गया एवं हस्ताक्षर किया गया।

.....
शपथ कमिश्नर

1. INTRODUCTION

Institute for the Physically Handicapped, New Delhi was registered as a society in the year 1976 under the Societies Registration Act of 1860. It is an autonomous organisation under the administrative and financial control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India. It has been renamed as "Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped" in the year 2002. It became National Institute in 2016 & renamed as Pandit Deendayal Upadhyaya National Institute forPersons with Physical Disabilites (DIVYANGJAN) PDUNIPPD.

One of the main objectives of the Institute is to develop manpower to serve the persons with locomotor disabilities of all age groups. In its pursuit of alleviating the difficulties of people with disabilities, the Institute runs following courses of 4½ yrs duration, affliated to University of Delhi.

(I) Bachelor of Physiotherapy (B.P.T)

(ii) Bachelor of Occupational Therapy (B.O.T)

(iii) Bachelor of Prosthetics & Orthotics (B.P.O)

The Rehabilitation Services provided by the Institute are as follows-

(a) Assessment of the persons/ patients with physical impairments to specify their rehabilitation needs.

(b) Workshop for fabrication of Orthotic and Prosthetic devices eg. calipers, splints, artificial limbs, ambulatory & mobility devices etc.

(c) Out patient services of Physiotherapy, Occupational Therapy and Speech Therapy.

(d) Social psychological and vocational counselling services.

(e) Integrated Primary School

2. PROFESSIONAL COURSES

2.1 Bachelor of Physiotherapy - Physiotherapy is a health related profession that deals with therapeutic management of body dysfunction, by physical modalities. The aim of this therapeutic system is to promote optimal human health and function through the application of scientific principles. To learn the skills of Physiotherapy, it is essential to acquire knowledge and application of the basic health sciences and clinical sciences.

A Physiotherapist is able to assess, correct or alleviate acute or prolonged movement dysfunction. Physiotherapist may work in hospitals, rehabilitation centres, and schools for disabled children, geriatric centres, nursing homes and sports settings. Physiotherapists can also be self employed, clinical practitioners, academic teachers and researchers in their profession.

2.2 Bachelor of Occupational Therapy - Occupational Therapy is a health-related profession that deals with therapeutic management of various neuro-muscular, musculo skeletal dysfunctions and mental disorders including

mental retardation. The aim is to regain the lost functions in activities of daily living, development of different working skills including maintenance of fine coordination of an individual who suffers from any disorders listed above.

To learn skills of Occupational Therapy, it is essential to acquire knowledge and application of the basic health sciences and clinical sciences. An Occupational therapist is able to assess, correct or alleviate dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotor impairments, mental retardation or mental illnesses. Occupational Therapist may work in hospitals, rehabilitation centres, schools for the children with disabilities, drug de-addiction centres, psychiatry clinics, and centres for the Mentally Retarded and child development centres.Occupational Therapists can also be self employed, clinical practitioners, academic teachers, managers, researchers, consultants, advisors, etc. in their profession.

2.3 Bachelor of Prosthetics and Orthotics -Prosthetics and Orthotics is a profession that deals with fabrication and fitment of rehabilitation aids and appliances for the disabled persons. Prosthetist provides care to patients with partial or total absence of limb by designing, fabricating and fitting the prosthesis or artificial limb to replenish the individual's functional and cosmetic needs. The prosthetist takes measurements, selects the appropriate materials and components and makes all necessary modifications in the prosthesis and orthosis to fit it to the patient. He also educates the patient how to take care of it for optimal use.

Orthotist provides supportive care to the patients with neuromuscular and musculoskeletal disorders with an orthosis. The orthotist is responsible for evaluating the functional and cosmetic needs of the weaker part of the body, designing the appliance as per needs, fabricating, aligning and fitting the orthosis. He also educates the patients about the appropriate use and care of orthosis.

3. MINIMUM ELIGIBILITY CONDITIONS

3.1 Qualification-Candidates seeking admission to the Ist Year of Bachelor of Physiotherapy (B.P.T), Bachelor of Occupational Therapy (B.O.T) and Bachelor of Prosthetics & Orthotics (B.P.O) must have passed one of the following examinations:

(a) Senior School Certificate Examination of the Central Board of Secondary Education (12^{th} standard of 10+2 systems) or an examination recognised as equivalent thereto with:

Physics, Chemistry, Biology and English (PCBE) for BPT/BOT, provided the candidate has passed in each subject separately.

or

Physics, Chemistry, Mathematics/ Biology and English (PCME/PCBE) for BPO, provided the candidate has passed in each subject separately.

or

(b) Indian School Certificate Examination of the Council for the Indian School Certificate Examination or equivalent with PCBE for BPT/BOT and PCBE/PCME for BPO provided the candidate has passed in each subject separately.

Note:

(a) The Applicants who have appeared or will be appearing in the qualifying examination in March/April 2018 and whose results have NOT yet been declared / or awaited can also apply for entrance test; However their admission would be subject to satisfying all the eligibility criteria at the time of counseling.

(b) If you have already passed your 10+2 examination, then you are required to fill up obtained marks in core subjects. viz Physics, Chemistry, Biology & English (if applying for BPT/BOT/BPO courses) and Physics, Chemistry, Mathematics/ Biology and English (if applying only for BPO course). Mention the core subjects in which you want to attempt your questions in Entrance Test. A candidate attempting questions in core subject of Mathematics will not be eligible for admission in BPT & BOT. Therefore read the instructions and prospectus carefully before filling core subjects.The aggregate percentage of core subjects will be counted to judge your eligibility as well as the subjects to allow you to attempt in the Entrance Test.

3.2 Percentage of Marks: The candidate should have a minimum of 50% marks in aggregate in above mentioned four subjects for general category and 45% for SC/ST/PH/OBC/CWAPP categories.

3.3 Age: Minimum - The minimum age limit for the candidate seeking admission in BPT, BOT & BPO is 17 yrs. as on 31st December, 2018.

Maximum - The maximum age limit for General category and others will be 23 yrs. and in case of SC/ST/PH/OBC it will be 28 yrs.

Note: For reckoning the age, as aforesaid, the date of birth as mentioned in the Certificate of High School or in MARKSHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof

3.4 GAP Year: The candidates who have passed their 10+2 Examination before the Year 2015 and have discontinued their regular studies for more than 3 years are not eligible to appear in the entrance test.

4. BASIS OF ADMISSION

4.1 The selection of candidates for admission to BPT/BOT/BPO will be made based on merit in the Entrance Test. There will be a Common Entrance Test

for BOT, BPT and BPO course which will be conducted by PDUNIPPD as per the directions of University of Delhi. The test will be of three hour duration and shall consist of multiple choices, objective type questions based on Senior Secondary School Certificate (10+2) curriculum of CBSE or its equivalent.

4.2 There will be one question paper consisting of four parts A, B, C, and D as mentioned below:

Part	Subject	Total Questions
A.	Physics	50
B.	Chemistry	50
C.	Biology/Mathematics	50
D.	Gen. Knowledge and English	50

4.3 The candidates opting for BPO course will have the option to attempt questions either in Biology or Mathematics depending upon their subjects in qualifying examination (i.e. 10 + 2). Such candidates will opt the subject in the Application form in the appropriate column to appear in the test. Rest of the questions in the subjects of Physics, Chemistry, Gen. Knowledge and English will be same for all candidates.

4.4 No change in the choice of subject opted at the time of filling up the application form will be entertained at the time of entrance test.

4.5 All Indian candidates who apply for admission to the courses of BPT, BOT and BPO will have to appear in the Entrance Tests as above. The successful candidates will be called for counselling based on their rank in merit list. Issuance of counseling letter does not entitle a candidate for admission in the Institute. It is subjected to rank in the merit list, fulfillment of eligibility conditions and production of original certificates, as given in prospectus for claiming the provisional admission.

5. NUMBER OF SEATS

5.1 Reservation of seats-The total number of seats will be 54 each in Bachelor of Occupational Therapy and Bachelor of Physiotherapy and 31 seats in Bachelor of Prosthetics & Orthotics. The distribution of seats to different category of candidates is as follows:

Course	Total Seats	Gen.	SC	ST	PH	OBC	STNA	CWAPP	FN
BPT	54	20	8	4	2	15	3	2	2
BOT	54	20	8	4	2	15	3	2	2
BPO	31	15	5	2	1	8	–	1	–
Total	**139**	**55**	**21**	**10**	**5**	**38**	**6**	**5**	**4**

5.2 Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates (SC/ST)

15% and 7½% of the total numbers of seats in each course are reserved for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates respectively.

A Scheduled Caste/Tribe candidate while applying for appearing in the entrance test for admission in any of the course will be required to submit a certificate to the effect that he/she belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category from the competent authority.

A SC/ST candidate may be required to submit income certificate issued by an appropriate authority for want of Central Sector Scholarship of Top Class education awarded by MoSJ&E.

5.3 Other Backward Classes (OBC)

27% of the total numbers of seats in each course are reserved for OBC candidates.

The candidates claiming reservation under this category must submit certificate in support of their claim, on the format provided in the prospectus, from the competent authority. They should also submit certificate to the effect that they do not belong to the creamy layer. **OBC list issued by Central Government will be followed.**

Sub-quota of 4·5 percent (four point five percent) for Minorities, as defined in clause (c) of section 2 of the National Commission for Minorities Act, 1992 out of the 27 percent reservation for Other Backward Classes.

5.4 Persons with Physical Disabilities (DIVYANGJAN): Two seats each in BPT & BOT and one seat in BPO course have been reserved for the persons with physical disability, provided they are in the merit list and are found medically fit to pursue the course. They should mention clearly that to which category they belong to (i.e whether General/ SC/ ST/OBC). They should also submit a certificate of permanent physical disability from competent medical authority to stake their claim under this category.

The candidate with Physical disability should be able to perform the job activities required during the training in BPT/BOT/BPO course.

The candidate must have adequate standing balance and his or her upper extremities functions should be adequate to be able to perform required manoeuvers.

The candidate provisionally selected under physically disabled (PH) category should appear before the Medical Board constituted by University of Delhi at its World University Health Centre located in the North Campus of University of Delhi, for this purpose. The candidate declared fit, by the medical board, to undergo the course will only be given admission in the course.

5.5 Provision for Children/Widows of Armed Personnel including Paramilitary Personnel killed or Disabled during Hostilities (CWAPP)

Two seats each in BPT & BOT course and one seat in BPO course are reserved for Widows/Children of officers and men of the Armed Forces including Para military Personnel who have been killed/disabled while on duty in war 1947-48 onwards.

In order to become eligible for the above concession the Widow/Children of the killed/Disabled officer and Men of the Armed Forces including Para Military personnel will be required to produce an entitlement certificate from any of the following authorities.

(a) Secretary, Kendriya Sainik Board, Delhi

(b) Secretary, Rajya/Zila Sainik Board

(c) Officer-in Charge, Record Office

(d) 1st class Stipendiary Magistrate

5.6 Foreign National (FN)

(I) Two (02) seats each in BPT and BOT will be reserved for Foreign Nationals provided they fulfil the minimum eligibility conditions and have passed the last qualifying examination (i.e. equivalent to 10 + 2 with 50% marks in Physics, Chemistry, Biology/ Mathematics and English) from a Foreign University/Board (except from Bhutan).

(ii) The Foreign Nationals who have passed their qualifying examination from any Indian School/Board/ University will not be eligible for admission under this category.

(iii) The candidate belonging to Foreign National category need not appear in the Entrance Test. However their application after due recommendation from their Government should reach Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India for consideration.

(iv) Their application should also be recommended by the foreign student advisor of University of Delhi.

(v) Once their application, after due formalities from Government of India & University of Delhi reaches the Institute, the equivalency of their qualification will be examined by the competent authority before being given provisional admission to the course depending upon the vacancy and their rank in the merit list of foreign nationals.

5.7 Candidates from the States where similar Teaching Facilities are not available (STNA)

Three (03) seats each in Occupational Therapy and Physiotherapy courses are reserved for the candidates coming from the States/UTs where similar teaching facilities are not available, provided they come in the merit, based on the entrance test. To become eligible for consideration under this category, a candidate will have to produce a certificate from Commissioner/Secretary of

the State Government in the health or Social Justice Welfare Department to this effect, that teaching facilities for these courses are not available in their State. The list of such States/UTs as provided by Ministry of Social Justice & Empowerment is as follows:*

(i)	Andman & Nicobar	(viii)	Lakshadweep Islands
(ii)	Arunachal Pradesh	(ix)	Manipur
(iii)	Assam	(x)	Meghalaya
(iv)	Daman & Diu	(xi)	Mizoram
(v)	Himachal Pradesh	(xii)	Nagaland
(vi)	Jammu & Kashmir	(xiii)	Sikkim
(vii)	Jharkhand	(xiv)	Tripura

*The above list is likely to be revised.

5.8 Dereservation of Seats

In case the eligible candidates belonging to STNA/CWAPP & FN Categories are not available, the seats will be treated unreserved and candidates from the General Category will be considered against such seats in order of merit.

5.9 Cancellation of Application/Admission Form

Any student seeking admission on basis of wrong information in her/his application form in respect of age, category, subject, passing percentage of marks, conduct in last school/college/ university, etc; her/his admission will be cancelled at any time whenever it comes to the notice of the University/Institute during the course.

6. PROSPECTUS

6.1 Prospectus will be available online and can be downloaded from institute's website www.iphnewdelhi.in

6.2 Application form will be available and accepted online only at institute's website www.iphnewdelhi.in w.e.f. 20th April, (Friday) 2018 to 19th May, (Saturday) 2018

6.3 Fee for Application Form for the Entrance Test

The application fee would be Rs.1200/- for General /OBC /CWAPP/Other candidates and Rs. 600/- for SC/ST/PH category candidates.

6.4 Important Note before filling application form

GUIDELINES FOR SCANNING UPLOADING PHOTOGRAPH / SIGNATURE.

Before applying online a candidate will be required to have a scanned (Digital) image of his/her photograph and signature as per the specifications given below.

(a) PHOTOGRAPH IMAGE:

1. Photograph must be a recent passport style colour picture.
2. Make sure that the picture is in colour, taken against a light-coloured, preferably white background.
3. Look straight at the camera with a relaxed face
4. If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen.
5. Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but it must not cover your face.
6. Dimensions 200 x 230 pixels (preferred)
7. Size of file should be between 20 kb - 50 kb
8. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 kb. If the size of the file is more than 50 kb, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, number of colours etc., during the process of scanning.

(b) SIGNATURE IMAGE:

1) The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.
2) The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.
3) The signature will be used to put on the Identity Card /Admit Card and wherever necessary.
4) Dimensions 140 x 60 pixels (preferred)
5) Size of file should be between 10kb - 20kb
6) Ensure that the size of the scanned image is not more than 20 kb. If the scanned signature is more than 20 kb, please scan again with reduced DPI resolution

© The fee for the application form is to be submitted through NEFT / RTGS payment in the account as per the details below:

Account Name	DIRECTOR, PDUNIPPD, NEW DELHI
Account No	55113200890
Bank Name	State Bank of India
Branch	Shastri Bhawan, New Delhi – 110001
IFSC Code	SBIN0050203

Fee for Application Form for the Entrance Test is Rs. 1200 for General/OBC/CWAPP/Other candidates and Rs. 600 for SC/ST/PH Candidates

1. You are advised to take your UTR No. from your bank for filling up in the application form.
2. UTR No, Bank Name, Branch Name, Amount and Date are to be mandatorily filled in the section provided for Application/Entrance Test fees
3. Without providing Application/Entrance Test fees details, the form will not be considered complete and is liable to be rejected

Note: Last date of applying for online Application form is 19th May, (Saturday) 2018

6.5 Steps for Online Procedure

(a) Filling of Application Form

1) To apply online please visit institute's website www.iphnewdelhi.in.
2) Prospectus can be downloaded from institute's website www.iphnewdelhi.in
3) **Please read the prospectus carefully before filling up online application form for the Entrance Test.**
4) Click on the Link for Online Application for Entrance Test Session 2018-19
5) Student must register on the website by providing e-mail Id, Mobile No. Date of Birth.
6) After Registration process is complete, candidate will be presented with login screen.
7) User/candidate can log on the Entrance Test application portal by providing login credentials as previously created.
8) After login in to Entrance Test Application portal the user/candidate can go through instructions for filling online form and can proceed to fill application form by clicking on apply online button
9) Fields marked with (*) are Mandatory.
10) Incomplete/wrongly filled Application forms are liable to be rejected
11) Applicant must upload his photograph and signature (as per specifications above)
12) In case an Applicant wants to make changes/corrections to the previously filled form he/she can choose option **Modify application details**
13) At any time during filling application form, the applicant can save changes by clicking on **Save application details** button.
14) After completing application the student should fill the fee details including amount of fee submitted, UTR No., Name of the bank, Branch

Name, Amount and Date before submitting the form.

15) Candidate can check the status of application any time after submission by Login into Entrance Test Application portal on www.iphnewdelhi.in and choosing the option **"Check Application Status"**

(b) Admit Card

(a) Admit card can be downloaded tentatively from 11/06/2018 onwards from the institute website by Login into Entrance Test Application portal on www.iphnewdelhi.in and choosing the option **"Download Admit Card"**

(b) No admit card will be issued on **24.06.2018** at Examination (Test) Centre.

(c) No candidate shall be admitted to the Examination Hall unless he/she holds an Admit Card issued by the Institute.

6.6 Date of Entrance Test: The Entrance Test will be held in Delhi on **24th June, (Sunday) 2018.** Duration of Test will be 3 hours i.e. from 10.00 A.M. to 1.00 P.M.

6.7 Result- The result will be displayed / uploaded tentatively in First week of July, 2018 & will be available on the website of the Institute viz. www.iphnewdelhi.in

The Institute does not issue or supply any mark sheets to the candidates for their appearing in the entrance test and no correspondence in this regard will be entertained.

Candidates will be called for counselling in accordance with merit list and provisional admission thereon on a stiputated date and time as decided by the Institute.

(Please visit institute's website www.iphnewdelhi.in).

7. COURSE FEE

The candidates called for counselling must pay following fees on the stipulated date of counselling/admission to the course, if granted provisional admission in the particular course of their choice.

Note:

(i) Admission fee is not refundable once the provisional admission has been completed.

(ii) Caution Money is refundable either before commencement of classes or on successful completion of the course after producing no dues certificate from all the corcerned departments.

S.No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Admission Fee	3,000.00
2.	Caution Money	10,000.00
3.	Library Security	5,000.00
4.	Tuition fee	13,200.00
5.	Therapeutic Laboratory Fee	8,400.00
6.	Library fee	300.00
7.	Sports and Cultural Fee	1,800.00
8.	Enrolment Fee	As per University of Delhi
9.	Examination Fee	As per University of Delhi
	Total*	**Rs. 41,700.00**

(* The Fee is likely to be changed as per approval of competent authority)

(iii) Library security deposit is refundable either before commencement of classes or on successful completion of the course after producing no dues certificate from all the concerned departments.

(iv) Tuition Fee, Therapeutic laboratory Fee, Sports and Culture fee are refundable only if the student withdraws before commencement of classes. No refund thereafter is permissible.

(v) The fee structure would be different for students of Foreign Nationals. The tution fee, Therapeutic & Lab fee and Hostel fee (if alloted hostel accommodation) would be Four times than usual rates applicable to the students of Indian origin. Refundable Security/Caution money shall remain the same for all candidates.

8. HOSTEL (Only for Girls)

(i) Limited accommodation is available in the Institute hostel to the outstation candidates (Girls only) depending upon the vacancy. Residents of Delhi will not be provided Hostel seats. Hostel accommodation will be allocated on year to year basis.

(ii) Hostellers are governed by the rules and regulations as laid down in the hostel manual.

(iii) Failed students/Ex-students will not be allowed to stay in hostel. However, re-allotment to failed students may be considered on their passing of the Annual/Supplementary examination, subject to availability of vacant seats in the hostel.

(iv) In case seats are not available in the Institute hostel, the candidates will have to make their own arrangement to stay in Delhi.

Hostel Fee

S.No.	Particulars	Amount	Remarks
1.	Hostel Fee	7200.00*	Per annum
2.	Hostel Security Fee	5000.00**	
	Total	**Rs. 12,200.00**	

Note :

* Hostel Fee @Rs. 7200/- per annum shall be levied only on allotment of hostel.

** Hostel security fee of Rs. 5000/-shall be deposited at the time of allotment of hostel and is refundable on leaving the hostel after obtaining no-dues certificate from all the concerned departments.

9. GENERAL INSTRUCTIONS

(i) Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification and likely to render the candidate unfit for admission to the course applied for.

(ii) If a fact that any false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the application form, comes to notice at any time during a candidate's undergoing training in the Institute, his/her name will be struck off the rolls.

(iii) Incomplete application will be summarily rejected. Instructions contained in the prospectus should be read carefully before filling up the application form.

(iv) Delhi High Court shall have the jurisdiction to settle any legal dispute regarding admission.

(v) Candidates are advised to visit the Institute website regularly for updates & information regarding entrance test (www.iphnewdelhi.in)

10. INFORMATION FOR THE CANDIDATE ON THE DATE OF ENTRANCE TEST

1. Entrance Test for BPT/BOT/BPO: 24.06.2018 (Sunday)

Time Schedule to be strictly adhered to by the candidates reporting for Entrance Test.

Reporting Time at the Centre :	:	9.30 A.M.
Candidates to Occupy Seats	:	9.45 A.M.
Issue of Question Booklet	:	9.50 A.M.
Breaking open of the Seal of Booklet	:	9.55 A.M.
Start Answering on Answer Sheet	:	10.00A.M.
Test Concludes	:	1.00 P.M.

2. Candidates are advised to visit the venue of his/her test centre well in advance preferably a day before the test. The seating plan will be displayed at the gate of the test centre and in front of the examination hall as well in the morning of the examination day.

3. No candidate will be allowed to enter in the Examination Centre after 9.45A.M. and Examination Hall/ Room after 10.00 A.M. under any circumstances.
4. Candidate must bring Admit Card along with passport size photograph and any one ID Proof (issued by Govt. of India i.e. Aadhar Card, Voter ID card, PAN Card, Driving License) with him/her. Candidate without admit card will not be permitted to write the test.The Admit Card as mentioned previously can be downloaded from www.iphnewdelhi.in by providing email ID, Mobile No. and Application/Acknowlegement No.
5. Candidate should bring with him/her, his own H.B. pencil, ball pen, eraser & sharpener etc. for writing the test.
6. No stationary items as mentioned at Sl. No. 5 above will be provided at the Entrance Test Centre.
7. The candidate has to make entries about his/her particulars on Test booklet by Dot Pen/Ball point pen. On Answer Sheet side 1, the desired particulars are to be filled by Dot pen/Ball point pen. Whereas on side 2 (except signature) all the coded information and answers should be shaded with Ball Point Pen (either Black or Blue) in appropriate bubbles/circles only.
8. Candidate should read the instructions on Test booklet & Answer-sheet carefully & follow it. Queries should be clarified with invigilator.
9. Each test question paper will consist of 200 Objective type Questions with 50 questions each in Physics, Chemistry, Biology/Mathematics and G.K. & English.
10. The candidates opting for the test for BPT/BOT will have to attempt Physics, Chemistry, Biology and General Knowledge & English questions only.
11. Candidates opting for the test for BPO will have the choice to attempt either Biology or Mathematics questions depending upon their subjects in 10+2 and choice of subjects they have opted in their application form.
12. Total test mark will be 800; each correct answer will be awarded with 4 marks and each incorrect answer with 1 negative mark.
13. Candidates will not be permitted to leave the Examination hall for washroom etc. before 90 minutes from the commencement of the examination.
14. Candidates will not be allowed to leave examination centre before 1.00 P.M. i.e. conclusion of test.
15. Candidates will not be permitted to carry any baggage or articles including Calculator, Pager, Mobile Phones, and Purse etc. inside the Examination Hall/Room, except drinking water bottles.
16. The Institute will not be responsible for any loss/theft of his/her personal belongings.
17. Examination Superintendent of each Centre is authorized to examine any candidate/complaint/dispute and empowered to take decision accordingly.

18. Videography of the Test Centre, Examination Rooms and individual candidates will be done to avoid any attempt of malpractice. The candidates are requested to cooperate with the professionals and invigilators as it is being accomplished to safe guard the interest of genuine and hard working students.

19. Candidate found to be indulging in any type of unfair means/ malpractice will not be permitted to write the test further and the entire test performance of the candidate will be cancelled.

20. Any attempt of impersonation will be dealt with strictly under law.

Note: Please bring one latest passport size Photograph and ID Proof at the time of Entrance Test.

11 MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY

11.1 Candidates will be called for counselling in accordance with merit list of the entrance test to allow provisional admission on the stipulated date & time. At the time of counselling the candidates are required to bring in their original certificates along with attested copies thereof. All admissions are subject to confirmation by University of Delhi.

11.2 **Attendance:**

A candidate admitted to BPT/BOT/BPO shall not be deemed to have satisfied the required conditions of attendance unless he/she has attended not less than three-fourths (75%) of the theory and practical classes separately in each subject in each academic year. Students will be posted in different Hospitals/Institutes/Organizations for their clinical training during academic year as per curriculum of BPT/BOT/ BPO. 100 % Attendance is compulsory in the prescribed internship period of six months. In addition, attendance at the rural posting wherever prescribed in the course shall also be compulsory. Institute does not take responsibility to complete attendance by arranging extra classes. A student if found short of attendance or not attending classes without information is liable to face disciplinary action including cancellation of admission or will not be permitted to appear in annual examination.

Students will be guided by the rules/regulations of Hospitals/Institutions/ Organizations where they are posted.

12 (a) PROHIBITION OF/AND PUNISHMENT FOR RAGGING (Ordinance XV-C)

1. Ragging in any form is strictly prohibited in the premises of the Institute including classrooms, library, corridors, departments and hostel and in any part of University of Delhi as well as on public places including transport.

2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this ordinance

3. Ragging for the purposes of this ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to

bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which:

(a) Involve physical assault or threat or use of physical force

(b) Violate the status, dignity and honour of men/women students

(c) Violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and scheduled tribes.

(d) Expose students to ridicule on contempt and affect their self-esteem.

(e) Entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

4. The principal of a college, the head of the department or an institution, the Authorities of college, or University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.

5. Notwithstanding anything in clause (4) above, the Proctor may also enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.

6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.

7. If the Principal of the College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/she may so advise the Vice-Chancellor accordingly.

8. When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his/her decision shall be final.

9. On the receipt of a report under clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under clause (7) disclosing occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and (c), that the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.

10. The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated, period admitted to a course of study in a results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

11. In case where students who have obtained degrees or diplomas of University of Delhi are found guilty under this Ordinance, appropriate action will be taken under stature 15 for withdrawal of degrees or diploma conferred by the University.

12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging will also amount to ragging.

13. All institutions within the University of Delhi system shall be obligated to carry

out instructions/directions issued under this ordinance, and to give aid and assistance to the Vice-Chancellor or achieve the effective implementation of the Ordinance.

12 (b) Raghavan Committee's Recommendations RELATED TO RAGGING

The candidates must read the recommdation of the Raghavan Committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in order to prevent any incidence of ragging. The Institute will comply the Hon'ble Supreme Court's guidelines and follow the recommendations of Raghavan Committee report on the issue.

- Based on the interactions and the elaborate methodology followed by it, the Committee is convinced that the society at large considers ragging as a definite menace. We are equally convinced that softer options have not worked and therefore it is time for tough measures. The Committee recommends, for curbing ragging in educational institutions, the active involvement of media and the civil society is essential.

- At the level of the higher educational institutions, it should be mandatory for the student at the time of admission to submit documentation in respect of (i) the school leaving certificate/character certificate which will include a report on behavioural pattern. (ii) An annual undertaking to be signed by each student, whether fresher or senior, and his/her parent(s) jointly stating that each of them have read the relevant instructions/ regulations against ragging, as well as punishments. Such undertaking should also be obtained from the students before they are admitted to the Hostels.

- The Committee feel that it is extremely important that this requirement of a binding undertaking is complied with by all institutions, and some superior level bodies must cross-verify and vouch that there is strict compliance thereto.

- The Committee recommends that in every institution, the freshers day' or 'welcome party' shall be concluded within the first two weeks of beginning of the academic session. In any such event, college faculty must be present and must ensure that no ragging or untoward incident takes place on the occasion.

- The Committee recommends that every institution must have an Anti-Ragging Committee and an Anti-Ragging Squad. The Committee should consist of the representatives of civil and police administration, local media, NGOs involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the fresher's category as well as seniors, non-teaching staff and it should be headed by the Head of the Institution.

- Appointment of 'Mentoring Cell' in each institution to oversee and involve senior students as Mentors for the 'freshers'. It should be formed at the end of each academic year.
- The Committee recommends that anonymous random surveys must be conducted by each institution, across the entire first year batch of students (freshers) every fortnight during the first three months of the academic session, to verify whether the campus is indeed free of ragging or not.
- The Committee recommends that private commercially managed lodges or hostels outside campus, such hostels and management must be registered with the local police authorities. Permission for establishment of such hostels should be recommended by the Head of the Institution.
- The Committee suggests that the complaints in regard to ragging could be oral or written and even from third parties and the confidentiality of the source of information must be protected at all costs. Remedial action must be initiated and completed within the week of the incident itself.
- The Committee recommends that preventing or acting against ragging should be the collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries within the institution.
- Hostel Wardens must be accessible at all hours and they must be issued mobile phones by the Institutions.
- The Committee recommends that at the level of the University there should be Monitoring Cell on Ragging, which should coordinate with the affiliated Colleges and Institutions under its domain.
- The Committee suggests that the Heads of Institutions should be required to submit, to the Vice-Chancellor the University, weekly reports during first three months of the reopening of the institution and thereafter reports each on the status of compliance with anti-ragging measures.
- For purposes of timely communication, the Committee recommends, the students should have access to the public phones/mobile phones etc. in hostels and campuses.

13. Guidelines for Counselling the Candidates for Admission to Bachelor of Physical Therapy/Bachelor of Occupational Therapy/Bachelor of Prosthetics & Orthotics

1. Personal presence of the candidate is mandatory for counselling.
2. Only one person will be allowed to accompany the candidate in the Counselling Hall.
3. Reporting time to Counselling Hall is 9.00 a.m.

4. Candidate will be allowed entry in the Counselling Hall only up to 9.30 a.m.
5. If a candidate fails to appear in the counseling for any reason on the day, date and time given in his/her counselling letter, he will forfeit the chance of his/her admission and seat will be offered to the next candidate in the merit list.
6. The candidate will have to bring original certificates of the documents required for admission, which will be retained in the Institute at the time of admission till such time, he/ she is enrolled in the University of Delhi.
7. Issuance of counseling letter does not entitle a candidate for admission in the Institute. It is subjected to rank in the merit list, fulfillment of eligibility conditions and production of original certificates, as given in prospectus for claiming the provisional admission.
8. Candidates will be called according to their rank in the merit list. The applicant will be offered the choice of course opted by him subject to his rank in merit list and availability of seats
9. In case of tie in the merit list, percentage of marks of the candidate in 10+2 (PCBE/PCME) subjects of appearing in test will be taken into consideration.
10. In case of tie in the merit list as well as 10+2(PCBE/PCME) subjects percentage, age of the candidates will be considered and older candidate will be given admission in the opted course.
11. Immediately after the counselling the candidate will be given provisional admission in the Institute and he/she will have to deposit fee on the day of counselling itself.
12. The fee will have to be deposited on day of counseling in the form of Demand Draft in favour of **Director, PDUNIPPD** payable at New Delhi.
13. If a candidate fails to deposit the fee on the day of counselling, the seat will be offered to the next candidate in the merit list.

NOTE: In case of any controversy in Language/interpretation, the English version of prospectus shall prevail.

14. CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE FURNISHED AT THE TIME OF COUNSELLING.

The cadidates are required to bring in their original certificates whenever required at the time of counselling.

1. Date of Birth Certificate, Matriculation, Senior Secondary School Certificate issued by Board/University.
2. Certificate from the prescribed competent Authority for the Candidate seeking admission under the reserved categories.
3. Certificate of good conduct from the School/College/University last attended not later than 6 months.

4. Documentary evidence of having passed the 12th standard examination under 10+2 scheme.
5. Marks Sheet of 12th standard board examination of 10+2 scheme.
6. Medical fitness certificate from a registered medical practictioner
7. Three recent coloured Passport size photographs.
8. Affidavit on prescribed format on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- only in response to Raghvan's Committee recommendations endorsed by Hon'ble Supreme Court to Anti Ragging duly filled in by the candidate and the parents/guardian.(as per annexure I & II).
9. Demand Draft.

15. FORMAT OF CERTIFICATES

15.1 For SC/ST/OBC candidates : To be issued by District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/Sub-Divisional magistrate/Taluk Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant commissioner/Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate/Revenue Officer not below the rank of Tehsildar/Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides/Administrator/ Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep Islands)

This is to certify that Sh./Ku.....

Son/Daughter of Sh./Ku.....

of Village/Town.....

In District Division.....

of the State/Union Territory.....

belongs to the.....

caste/tribe which is recognised as Scheduled Caste/scheduled Tribe/OBC

Signature.....

Place & Date :

(Official seal)

Name.....

(In Capital Letters).....

Designation.....

15.2 ALTERNATIVE

(application only to those persons who have migrated from one state to another for purpose of employment, education, etc.) on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate/Other Backward Castes issued by.....

vide No.

.....

(Name of the issuing authority)

.....date.....to

Mr./Mrs.....father/mother of

Sh./Ku.....of

Village/Town.....in District

Division.....on the State/Union Terriroty.....

it is certified that he/she belongs to the.....Caste/Tribe which is recognised as

Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Terrirory.....

Signature.....

Name.....

Place & Date :

(Official seal) (In Capital Letters).....

Designation.....

Please delete the words which are not applicable. Only photo copy of the certificate duly attested by the Headmaster/Principal of School or Gazetted Officer should be submitted.

Other Backward Classes Certificate for appointment to the Posts Reserved under the Government of India

This is to certify that Sh./Smt./Ku. ..... S/o, W/o, D/o ..... Resident of..... belongs to the ..... which is recognized as a Backward Class under the Government of India, Ministry of Welfare Resolution no. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995 published in Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section I, no. 88, dated 25th May, 1995 and Resolution no. 12011/68/68-BCC, dated 27.10.1999, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section I, no. 241, dated 27.10.1999 and Resolution no. 12011/36/39-BCC, dated 04.04.2000, published in Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section I, no. 71, dated 04.04.2000 and Resolution no. 12011/1/2001-BCC, dated 09.06.2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section-I, no. 151, dated 09.06.2003.

Sh./Ms. ..... and / or his family ordinary reside(s) at .....

This also to certify that he / she does not belongs to the persons / sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the schedule to the Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8.09.1993 which is modified vide DOPT OM No. 36033/3/2004-Estt.(Res), dated 09.03.2004.

Dated.....

Signature

ANNEXURE I

AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. _____, having been admitted to_____ (name of the institution) , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging. 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force. 6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this ___day of _____ month of _____year.

_____

Signature of deponent

Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

ANNEXURE II

AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, (full name of student with admission/registration/enrolment number) , having been admitted to ____(name of the institution) , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations. 2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what

constitutes ragging. 3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force. 6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ___day of _____ month of _____year.

_____

Signature of deponent

Name:
Address:
Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein. Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month) , (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

IMPORTANT DATES

SUBMISSION OF APPLICATION FORMS

Starting Date of Submission of Online Application Forms	:	20.04.2018
Closing Date of Submission of Online Application Forms	:	19.05.2018

ENTRANCE TEST BPT/BOT/BPO 2018-19

Date and Day	:	24th June, 2018 (Sunday)
Time	:	10.00 AM to 1.00 PM

PROSPECTIVE DATES

Declaration of Result	:	First week of July, 2018
1st Counseling for Admissions	:	23th & 24th July, 2018 (Monday & Tuesday)
2nd Counseling for Admissions	:	9th & 10stAugust, 2018 (Thursday & Friday)
3rd Counseling for Admissions	:	If required
Commencement of Classes	:	6st August, 2018 (Monday)

CONTACT FOR MORE DETAILS/CLARIFICATION

For Admission Queries	:	011-23233782, Extn. No. : 368
Chairperson Admission Committee	:	011-23233782, Extn. No. : 348
Head of the Department (PT)	:	011-23236193
Head of the Department (OT)	:	011-23232980
Head of the Department (P&O)	:	011-23235863

Entrance Test Application Fees

For General/OBC & Others Rs. 1200/-For SC/ST/PH Rs. 600/-